

प्रेषक,

शिव शंकर सिंह  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2012

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में बी०एस०यू०पी० योजना में अनुदान सं०-37 से चतुर्थ किस्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-59(4)/पीएफ-1/2011-1730, दिनांक 29.03.2012 द्वारा जारी केन्द्रांश की चतुर्थ किस्त के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-157/76/एक/बी०एस०यू०पी०/2011-12, दिनांक 23 अप्रैल, 2012, पत्र संख्या-160/76/एक/बी०एस०यू०पी०/2011-12, दिनांक 23 अप्रैल, 2012 एवं पत्र संख्या-164/76/एक/बी०एस०यू०पी०/2011-12, दिनांक 23 अप्रैल, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी०एस०यू०पी० योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये जनपद-कानपुर नगर की नगर निकाय की 887 आवासों के सापेक्ष 177 आवासों, 854 आवासों के सापेक्ष 193 आवासों एवं 753 आवासों के सापेक्ष 155 आवासों की 03 परियोजनाओं के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-37 से निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित केन्द्रांश+राज्यांश की चतुर्थ किस्त (25 प्रतिशत) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद-कानपुर नगर की उक्त तीनों परियोजनाओं हेतु तृतीय किस्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि के रूप में 887 आवासों के सापेक्ष 177 आवासों हेतु शासनादेश संख्या-624/69-1-11-50(बजट)/2009, दि० 20 अप्रैल, 2011; 854 आवासों के सापेक्ष 193 आवासों हेतु शासनादेश संख्या-786/69-1-11-50(बजट)/2009, दि० 13 मई, 2011 एवं 753 आवासों के सापेक्ष 155 आवासों हेतु शासनादेश संख्या-788/69-1-11-50(बजट)/2009, दि० 23 अगस्त, 2011 द्वारा जारी की जा चुकी है।

(धनराशि लाख ₹० में)

क्रमांक	जनपद/परियोजना	कुल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत (सेन्टेज चार्ज व लेबर सेस अतिरिक्त)।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु चतुर्थ किस्त (25 प्रतिशत) की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि अवस्थापना सुविधाओं सहित। (केन्द्रांश+राज्यांश)।
1	2	3	4	5	6
1.	कानपुर नगर/ कानपुर नगर	887	3667.63	177	155.13
2.	कानपुर नगर/ कानपुर नगर	854	3607.13	193	175.43
3.	कानपुर नगर/ कानपुर नगर	753	2856.27	155	123.27
	<b>योग</b>				<b>453.83</b>

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
- उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

कमश:.....2

4. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
5. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।
6. स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के कर्मों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रातिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु०-2 के शास०संख्या-बी-2-298/दस-2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
8. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेगें।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस०एल०एन०ए० (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि यदि कोई हो तो उसे राज कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-051-निर्माण-04-जे०एन०एन०यू०आर०एम० के उपघटक, बेसिक सर्विसेस फार अर्बन पूअर (के.50/रा.50-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

शिव शंकर सिंह  
विशेष सचिव।

संख्या-697 (1)/69-1-12-50(बजट)/2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कानपुर नगर।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1 को केन्द्रांश प्राप्त होने विषयक भारत सरकार के पत्रांक-59(4)/पी०एफ०-1/2011-1730, दिनांक 29.03.2012 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनु०-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
6. नियोजन अनु०-4/नगर विकास (कम्प्यूटर कक्ष)।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(आर०पी० सिंह)  
उपसचिव।

3